TWO | दो रुपये TWO RUPEES | दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(159) C-FRS15/-2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /निग./2003/शिवपुरी

R 1693-III/03

श्री कुंवर सिंह - कुशवाह एडवोकेट द्वारा आज दि. 18/11/03 को प्रस्तुत।

रीडर राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

18 NOV 2003

विजेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह,
निवासी- ग्राम- मगरौनी, तहसील/जिला शिवपुरी.

-- आवेदक

बनाम

घनश्याम सिंह पुत्र रामसिंह,
निवासी- ग्राम- मगरौनी, तहसील/जिला शिवपुरी.

-- अनावेदकग्र

Kuwar Singh Adv
18/11/2003

निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 50 विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्र.क्र./16/02-03/ निग./शिव./विजेन्द्र सिंह/घनश्याम आदेश दि. 17-9-2003 के खिलाफ प्रस्तुत जिसकी प्रमाणित नकल दि. 11-11-2003 को प्राप्त

श्रीमान् जी,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, ग्राम पनघाटा की भूमि सर्वे क्रमांक 207 रकबा 6.84 है. जो शासकीय दर्ज है , इस भूमि में से 0.80 पर आवेदक के हक में विधिवत न्यायालय नायब तहसीलदारा आवेदक के हक में अपने आदेश दिनांक 8-7-97 के द्वारा व्यवस्थापन किया गया , के विरुद्ध कलेक्टर शिवपुरी का आदेशदि. 28-10-02 के द्वारा माननीय तहसीलदार का आदेश 8-7-97 निरस्त किया , के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त के यहां प्रस्तुत की जो दि. 17-9-03 को निरस्त की, अपर आ० कार्यालय ग्वालियर संभाग के आदेश दि. 17-9-03 के विरुद्ध यह आवेदनपत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुतहै जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

आधार निगरानी :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1693–तीन/2003 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित। सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 16/2002–03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.09.2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह बात सामने आती है कि तहसील न्यायालय में वर्ष 1997 में आवेदक द्वारा आलोच्य भूमि पर निरंतर कब्जे के आधार पर भूमि व्यवस्थापन की मांग की गई है। निरंतर कब्जे के आधार पर भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही म0प्र0 कृषि प्रयोजनों लिये दखलरहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आती है। जैसा कि 1996 रे0नि0 231, 192 रे0नि0 355 आदि में अवधारित किया गया है कि इस विशेष उपबंध के	

अधिनियम के तहत अपील का प्रावधान न होने के कारण पारित आदेश के विरूद्ध धारा 50 के तहत पुनरीक्षण हो सकता है । विशेष उपबंध अधिनियम के तहत भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किये जाने लिये यह आवश्यक है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा 02.10.82 के पूर्व का हो तथा वह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमिहीन हो। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत–"भूमिहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है "वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित किया जाये। " प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का वर्णित भूमि पर खसरे में मात्र वर्ष 1995 में एक वर्ष का कब्जा अंकित है । ऐसा कोई ठोस आधार या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह माना जा सके कि इसका कब्जा 2.10.84 से पूर्व सतत कायम रहा है क्योंकि अगर ऐसा कब्जा होता तो उसके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत भी कार्यवाही की गई होती एवं कब्जा का इन्द्राज खसरे में बना रहता । आवेदक भूमिहीन परिवार का व्यक्ति नहीं है । भूमि का व्यवस्थापन का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को जीवनयापन के लिये भूमि देना है, जिन परिवारों के पास पूर्व से ही भूमि है उनको उपकृत करना नहीं है । ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसे विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थापन की पात्रता है । प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में यह बात सामने आती है कि प्रकरण में जो इश्तहार जारी किया है उसका प्रकाशन ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं ग्राम की चौपाल पर कब चस्पा किया गया कोई दिनांक अंकित नहीं है और न ही

यह अंकित है कि किस दिनांक को ग्राम में ढोंढी पिटवाई गई । मात्र पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया है, पटवारी रिर्पोट के समर्थन में उसके कथन भी अंकित नहीं कराये गये है। व्यवस्थापन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का अनुमोदन भी नियमानुसार न होकर क्षेत्राधिकार विहीन है। तहसीलदार द्वारा आवेदक की पात्रता के संबंध में कोई भी जाचं नहीं की गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है । ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । कलेक्टर शिवपुरी ने उक्त आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा पारित आदेश को उचित माना है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2003 एवं कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2002 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य